

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

66500/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2023

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला जालावा नर्मदापुरम	गृह	-	लगभग 20,000/-	स्वयं के नाम पर	खरीद के माध्यम से	-	सम्पत्ति धारक
ग्राम बेहरी तह दुनेरा (87324) जिला सवाई	गृह	गृह	10,000/-	पत्नी श्रीमति वंदना सिंह के नाम पर	पिता के माध्यम से (विरासत)	20,000/-	सम्पत्ति धारक
मिसरे कोपल (कोरम काटेज) नर्मदापुरम मार्ग कोपल (जे-9)	गृह	-	50,00,000/-	स्वयं के नाम पर	खरीद के माध्यम से	-	सम्पत्ति धारक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

16/1/23

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 01 जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का(पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

राम मनोहर पटेल

2. वर्तमान धारित पद

(उप-पंजी)

3. वर्तमान वेतन

48100 + D.A.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.2023

उस जिले उपसभा, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, वंशक, विसरात, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिव्यक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	पुर्नो	—	—	खैरपुर गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	—	—	—
2. — " —	भूमि	लगभग 2.00 एकड़	लगभग 2000000	(पति-पुत्र) खैरपुर गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	10,000/-	—	—
3. — " —	भूमि	लगभग 2.50 एकड़	लगभग 2500000	(पति-पुत्र) खैरपुर गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	15000/-	—	—
4. गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	भूमि	लगभग 4.00 एकड़	लगभग 4000000	(पति-पुत्र) खैरपुर गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	15000/-	—	—
5. गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	भूमि	लगभग 2.00 एकड़	—	(पति-पुत्र) खैरपुर गाम कोठी पोस्ट खैरपुर जिला	5000/-	—	—

• जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

.. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

... इसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: गणप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पदों या वंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

09.01.2023

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेंद्र सिंह परेल 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री3. वर्तमान वेतन 60,900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, प्रदत्त, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① जिला-जबलपुर ग्राम-लमती	आवासीय घर (2000 वर्ग फुट)	-	70,00,000/-	स्वयं के नाम पर	जबलपुर गृह निर्माण संस्थान (मिनि मर्यादित) जबलपुर	-	
② जिला-जबलपुर ग्राम-लमती	भवन निर्माण क्रिया (2004 में)	-	50,00,000/-	स्वयं के नाम पर	LIC से लगे (2003 में) (रु. 4,35,000/-) युन. निर्माण डेवलपमेंट (रु. 8,00,000/-) (वर्ष 2016 में)	-	
③ ग्राम-रवमरीया (हांसीवाट) नरह-गारेगांव जिला-नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)	-	कृषि भूमि लागभग 6.01 फुट	84,00,000/-	स्वयं के नाम पर	गारेगांव (हांसीवाट) (मैत्रिक संयंत्र)	2,15,000/-	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुरूप में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रापक सदस्य से यह ओषित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

18/12/2022
29-12-2022
उपयंत्री

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

* 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन .. 60940/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 2022-2023

A23

इसमें अत्यन्तकालीन पड़े भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सहस्य से यह अभिविष्ट है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाया यह घोषणा-पत्र धार कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यक्ति दे।

हस्ताक्षर

नाम

पुनः

फार्म

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अनूप कुमार खेरदे** 2. वर्तमान धारित पद **उपपंजी**

3. वर्तमान वेतन **42700-135100** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.07.2023**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, प्रदत्त, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - खण्डवा तरफ माली जिला - खण्डवा			30' x 50' = 1500 Sq. Ft.	मेरे पूर्वपति श्री अनूप खेरदे के सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे व मेरे भाई को संयुक्त रूप से मिले हुए रूप में दिया गया है।			
ग्राम - लिखोडी, तहसील श्री इन्दौर, जिला इन्दौर			25' x 78' = 1950 Sq. Ft.	75,00,000/- रूपये के मूल्य पर इ.उ.इ. इन्दौर द्वारा 60,00,000/- का अंतर लिफा राखा है।			

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
... ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अभिवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक पद से यह अभिवृत्ति है कि वह सेवा में रहते हुए नियमित के समान अर्जित करके बाद प्रत्येक बार मर्यादा की अवधि के पात्र रहे। यह योजना केवल भारत के प्रभाव में और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित संपत्ति को विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरूप है।

हस्ताक्षर

नाम **अनूप कुमार खेरदे**
पद **उपपंजी**

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष-2023**

1. शासकीय सेवक का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो—**श्री दिनेश कुमार राठौर**, वर्तमान धारित पद—**उपयंत्री** नगर तथा ग्राम निवेश नीमच
2. वर्तमान वेतन—**46700+डी.ए.**

3—अगामी वेतनवृद्धि की तारीख :- **01-जुलाई-2023**

उस जिले उप संभाग, तालुका, तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा गृह तथा अन्य भवन		**वर्तमान मुल्य	यदि स्वयं के नाम न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित हैं और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया** *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम गोंदिया जिला उज्जैन (म.प्र.)	—	कृषि भूमि 1.97 हेक्टर	12,00000	स्वयं के नाम	पैतृक संपत्ति	निरंक	—
बुंदावन धाम कॉलोनी उज्जैन	48.0 वर्गमीटर भवन	—	11,00000	स्वयं एवं पत्नि के नाम	एल.आई.सी.एच.एफ.एल.से ऋण लेकर क्रय किया गया।	निरंक	—

* जहाँ लागू न हो काट दिजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मुल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मुल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पटी:—मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधिन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य में नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर:

नाम:— दिनेश कुमार राठौर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

दिनेश कुमार

2. वर्तमान धारित पद

वरिष्ठ सु-मापक

3. वर्तमान वेतन 33100 + DA .. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- * जहाँ लागू हो, काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, उसी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) विनियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार सालों की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर 26/12/2022
 नाम दिनेश कुमार
 पद वरिष्ठ सु-मापक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दिनेश कुमार वाहने 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री

3. वर्तमान वेतन 42700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें भू-संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बांधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्माणाधीन आवासीय भूखंड नं० 332, ईशान विल्ड कोलार रोड भोपाल ग्राम रसूलिया नागीर मंडल तहसील बुन्देलख भोपाल मध्य प्रदेश	निर्माणाधीन आवासीय भवन	लगभग 22,000 sq ft (बाईस लाख Twenty two Lakhs)	लगभग 22,000 sq ft (बाईस लाख Twenty two Lakhs)	लागू नहीं	MDFC BANK एवं जे.ए.ए. फायनेंस से लोन लेकर दिनांक 14/1/2020 को M/S Ishan Builders & Developers 223, Zone 2 M.P. Nagar Bhopal से विक्रय किया गया	कोई नहीं	

* जहाँ लागू न हो, काल्पनिक।
** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) विधिम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानगर की अवधि के परिसर यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बांधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Signature
26/12/2022
नाम दिनेश कुमार वाहने
पद उपयंत्री
आधिकारिक छाप नगर तथा
ग्राम निवेश नर्मदापुरम

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश ५१६५१ २९२३

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

ଭବିନୀ ଚନ୍ଦ୍ର

2. वर्तमान धारित पद

उपयोगी

3. वर्तमान वेतन

40,300

DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2022

~~Am 30~~

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पर्यंक सदस्य से वह ओषाकत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मारो महीने को अवधि के परचायत यह घोषणा पत्र प्रकाश प्रकाशित करे और उसके वह उनके स्वामित्व को तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे निरास्त या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पदवी या सम्पत्ति पर उसके द्वारा प्राप्त समस्त अवलम्ब सम्पत्ति के खरीदें।

इस्ताम्ना

नाम

पदः

Actual

मलिका कक्षा

उपयुक्त

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, यथा

पानवरी २०२३

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवर्द्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका

संपत्ति का नाम तथा व्यापार

4. ग्रामों के नाम, जिसमें

(7)

(2)

16

64

5

6

(7)

(8)

42

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लागूभा मूल्य नतलाया जाए। इससे भ्रष्टाचारीयन घरेलू और विदेशी मुद्रा

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी सेवा के माध्यम से सदस्य को पद अर्पित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद उसके द्वारा महीने को अवधि के परवाने पर भर्ती होना पड़े पर कर प्रस्ताव को भी उसमें वह उनके स्वाभिव्यक्ति के द्वारा अर्पित अपना उससे वास्तव में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रदेश या वक्त्र पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के स्थिति है।

हस्ताक्षर

१९५५

पद

फार्म

अचल सम्पत्ति का विवरण, 1 जनवरी-2023

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :- महेश कुमार छलोत्रे शासकीय सेवा 2 वर्तमान धारित पद:- उपयंत्री

3 वर्तमान वेतन :- 66500 / +मंहगाई भत्ता

4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.07.2023

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ग्राम पिपल्या माफी तहसील रहट गोंव जिला हरदा	—	कृषि भूमि 2.144 हेक्टर	20,00,000 /—	स्वयं के नाम	पैतृक संपत्ति	1,00,000	—
2 ग्राम लिम्बोदी जिला इंदौर	15X40=600 व.फ. पर भूखण्ड पर भवन	—	16,75,000 /—	पत्नि एवं स्वयं के नाम से	(एल.आई.सी.एच.एफ.एल. द्वारा ऋण) से खरीद कर वर्ष 2014 में	निरंक	—
3 ग्राम गोयलाखुर्द	गृह 86.25 वर्गमीटर भूखंड पर भवन	—	18,35,000 /—	स्वयं के नाम	ग्राम बिरियाखेडी, रतलाम (म.प्र.) का मकान राशि रुपये 12,65,000 में विक्रय कर एवं शेष राशि 5,10,000 एच.यू.एफ. खाते से ऋण प्राप्त कर कय किया गया।	निरंक	—

जहाँ लागू न हो काट दीजिए

“ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

“इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे सर बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

Mahesh

नाम :- महेश कुमार छलोत्रे

पद :- उपयंत्री,

नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

रघु-के-शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

उप-पत्र

3. वर्तमान वेतन 59,100/-

T.A.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इंदौर ग्राम - रवाराणा अनारिफा रोड	फ्लैट	-	38.0 लाख (लगभग)	स्वयं एवं पत्नी के नाम से	रघु-के-शर्मा के द्वारा खरीद जो.जी.एफ.डी. राशि मिला लक्ष तथा स्वयं की व्यय से पूरा किया गया	अनुमानित रु. 8-10 लाख प्रति वर्ष	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह ओषित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

रघु-के-शर्मा

(उप-पत्र)

K-7
VLR
5/11/2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो।

2. वर्तमान धारित पद

३. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.23

10/12/20

*** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अलंकृत पद्य भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सधुपदेशावासकीय सेवक (आवरण) विभाग, 1959-के नियम 38(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर्ती होने की अवधि के अन्तर्गत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाध्याय का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे प्राप्त या उसके अपने भाग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा कति समस्त अवकाश सम्पत्ति के ब्यौते हैं।

इस्तावरा

नाम

५२

फार्म

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

Shreuti Tayorle

2. वर्तमान धारित पद

Sub. Engg.

3. वर्तमान वेतन

40300/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1st July 2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indore.	F- 605 Anandvan-2 Scheme no. 140, Indore.	Residence	54 Lack.	Self and Husband's name	Loan from Bank		

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा करने द्वारा कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की वस्तुओं को धारा 18(3) के अन्तर्गत अर्जित आय का उचित विवरण में मिलाया उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्राप्त पट्टा या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरूप दें।

हस्ताक्षर

Shreuti Tayorle

नाम

पद

Sub. Engg.

फार्म

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... विजय लक्ष्मी ... 2. वर्तमान धारित पद ... उपदेवी ...

3. वर्तमान वेतन ... 41500/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... July 2023 ...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया (खरीद, प्रत्यक्ष, बंधक, विसंस्त, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा)	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिप्राय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पिपलवाहना जिला इन्डौर	H.No-17 मो बिहार मैसूर (इन्डौर)	हस्ताक्षर G+L	42 लाख	विजय लक्ष्मी विमलचंद्र लक्ष्मी 13 मई 2012 विजय लक्ष्मी	20x42 = 840 वर्ग फीट पर भवन बना करा गया	-	गृह लोन स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 31,70,000/- रुपये प्रचारगढ़

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ... ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करती संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रमाण प्रेषण, द्वितीय सेणी तथा तृतीय सेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में अर्जित संपत्ति के संबंध में अपने नाम पर धारित संपत्ति का प्रत्येक वर्ष प्रमाणित कर और उसमें वह उनके प्रमाणित की जाये। इससे द्वारा अर्जित संपत्ति को निरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर ...
 नाम ... विजय लक्ष्मी ...
 पद ... उपदेवी ...

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

रमेश कुमार

2. वर्तमान धारित पद

उपवर्गी

3. वर्तमान वेतन

52500/-

+ D.A.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1/7/2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया है (पट्टा, बंधन, ब्याज, भूदान, अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा)	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम ब्याहुरा पोस्ट उमरी थाना रायपुर (कटुलिया न)	कुस्तीनी	कृषि भूमि एवं गेहूं	15 लाख लगभग	पत्नी के नाम पर	42 लाख के ब्याज पर	30,000/-	तीन लाख

जहाँ लागू न हो/काटे/रीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पमूल्य पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) विनियम, 1956 के विनियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी सेवा के अत्यधिक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि यह सारा मे उपरोक्त नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक श्रेणी में जाने की अवधि के परीक्षा में आयोग के निर्देशों पर ध्यान देकर और उसमें वह उनके स्वामित्व की संपत्ति उनके द्वारा अर्जित अधिकांश से बचाव में रखा जाए। इसके अतिरिक्त अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरा दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

रमेश कुमार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो, सतीश कुमार रेजा

2. वर्तमान धारित पद

उपबक्शी

3. वर्तमान वेतन 66500/- DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2023

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ख्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वर्ष किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, भूदान, चंभक, विरासत, भूदान या अन्य किसी प्रकार से तथा जिसकी तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ख्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजपुर	भवन	1	450000	स्वयं स्व पति के नाम	कालोनाईद से शुद्ध खरीदकर भवन निर्माण कराया (बिल्डर से)	—	—

जहाँ लागू न हो, काट दे लीजिए।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, सही वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : राज्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) विनियम, 1959 के विनियम 10(3) के अधीन अधिम लेखी, लिखित, गैर लिखित, गैर लिखित सेवा के अर्थक राशियों से यह घोषित है कि यह सेवा में अचल सम्पत्ति के समय और उसके बाद अर्जित और धारित की अवधि के अनुसार भूदान, भूदान, भूदान पर कर अर्जित कर और उसमें वह उनके स्वामित्व की भाँति उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या चंभक पर उसके द्वारा अर्जित संवत् अचल सम्पत्ति के ख्यौर है।

हस्ताक्षर

नाम

पद

सतीश कुमार रेजा
उपबक्शी

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्रीमान सिंह डांडव 2. वर्तमान धारित पद : वरिष्ठ - यू - प्रापक

3. वर्तमान धेतन 31.2.00. अगली धेतनबुद्धि की तारीख 07.07.25... 2023

उस जिसे, उप-संभाग, तासुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और दस्तावेज सासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया है—खरीद, मुद्रा, प्रसक्त, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पत्ता	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिपुञ्जित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सहो-सहो निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के सद्व्ययों में समभाग मूल्य नतलाया जाय।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

*** इसमें अल्पवयस्कीय पढ़ते भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अंगीत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के लक्ष्यक व्यक्तियों को यह उपोक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साल यहाँ परीक्षाओं के परामर्श यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तावकों और इसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अग्रणी उसे विभागत में मिले या इसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या संबंध पर उसके द्वारा धारित समस्त अग्रणी सम्पत्ति के खीर हैं।

इस्तावत्

• भाष्य

पुनः

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

विवेक देवदत्त

2. वर्तमान धारित पद

उपथेन

3. वर्तमान वेतन

51000/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई

2023

उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें धारित स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खीरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिपुच्छित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
124, जवाहरनगर खीरा 97 पार्स-4 रकबा - 5 खेजूरनगर के पास खेजूर	गृह	-	लगभग 25.0 लाख	स्वयं रखे चली	पिताजी से लेकर स्वयं की पत्न से LIC से लोन लेकर	-	-

* जहां राशियां न हो फाट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के आवेदन दाखल हो यह अपेक्षित है कि यह सेवा में परती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि में परचारा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित मयस अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

विवेक देवदत्त
उपथेन

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अमित पारिल

2. वर्तमान धारित पद

वरिष्ठ सू-भाषक

3. वर्तमान वेतन 3.1200/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2022

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - जबलपुर ग्राम - महाराजपुर	भवन निर्माण जिला (2021) (800 वर्ग फुट)	—	2700000/-	स्वयं के नाम पर एवं पारिल के नाम पर	LIC से लोन लेकर (2021 में) (15000000/- रु.) (शेष राशि स्वयं की आग ले रहे हैं पारिल की आग से)	—	

जहां लागू न हो काट दो।

ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक ग्राह्य महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

29-12-2022

नाम

अमित पारिल

पद

वरिष्ठ सू-भाषक

फार्म

CAD F0ma(W)1

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 01 जनवरी 2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन

ईश्वर भवि सोनी

2. वर्तमान धारित पद

वरिष्ठ - भू मापक

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2023

उस जिले उपसभा, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया " खरीद, पट्टा, बंधक, विसरात, भेंट या अन्य किसी प्रकार से लेया अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
संभावा-शहडोल ग्राम - ओस्तर) जिला - शहडोल	निरंक	1500 इब्	-	हवरं के नाम पर	2 वरीफ	निरंक	

- जहाँ लागू न हो कट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर

Signature

नाम

ईश्वर भवि सोनी

पद

वरिष्ठ - भू मापक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है

नाम

निहालू मुजारी

जन्म तिथि: 29/12/2022

3. वर्तमान वेतन

31250

0.9

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2023

वरिष्ठ भू मापक

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है - खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम-ठावलु बंखी/ठावलु जिला खरगोन (म.प्र.)	कच्चा ठावलु एवं खेती क्षेत्र की सम्पत्ति			खरगोन	खरगोन (सम्मिलित)	800000/-	आधुनाक्षर
2. योजना क्रमांक 04 (RDA) परसुराज विहार अंतर्गत खतला	भूखण्ड	—	1008000	स्वयं	खरीदा	—	25X40 = भूखण्ड
3. अष्ट विनायक कॉलेजी खतला	ठावलु	—	2500000	स्वयं/पत्नी	होम लोन	—	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

* इस मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

* इसमें अचलनालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

* मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदनु के साथ उपर्युक्त वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहौल की अवधि के परचारे यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

निहालू मुजारी
वरिष्ठ भू मापक
29/12/2022

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2023 (01 जनवरी 2023)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- प्रकाशकुमार विश्वकर्मा, कनिष्ठ भू-मापक, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सतना 2.वर्तमान धारित पद-बरिष्ठ भू-मापक

3. वर्तमान वेतन- 32,100/-

आगामी वेतन वृद्धि की तारीख - 01 जुलाई 2023

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर ना हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है, उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध हैं।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)संभाग- शहडोल जिला- शहडोल तहसील-व्यौहारी ग्राम- पपौध (म0प्र0) (2)संभाग- रीवा जिला सतना तहसील रघुराजनगर ग्राग - रामपुर चौरासी	पैतृक गृह आवासीय भूखण्ड 30X50	कृषि भूमि	3,00000/- लगभग 4,50000/-	पिता के नाम पर धारित हैं। स्वयम् के नाम पर धारित है।	विरासत में प्राप्त। (माता-पिता) के नाम पर हैं। सॉई डबलपर्स सतना से वर्ष 09. 03. 2018 में आवासीय भू खण्ड क्रय किया गया है।	निरंक निरंक	- —

*जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

**ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थित के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात

हस्ताक्षर - Prakash

नाम- प्रकाश कुमार विश्वकर्मा

पद- बरिष्ठ भू-मापक

9302317006

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अश्वते लक्ष्मी

2. वर्तमान धारित पद

34 मंत्री

3. वर्तमान वेतन

40300

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01-07-2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-लखनऊ मंडल-फर्रुखाबाद जिला-लखनऊ हजारीबाग	मकान	हूबि अर्ज 2038 बी.दा	11.50 लाख के लगभग के लु.मालिक	स्वयं के नाम	पेट्टा संपत्ति	90000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

डी.डी.आ.काड-0401803002

हस्ताक्षर

नाम

पद

34 मंत्री